दिनांक–02.12.2021 को सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेनसिंग के माध्यम से सम्पन्न राजस्व संग्रहण के समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

1. **राजस्व संग्रहण**

(i) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह नवम्बर तक कुल 75870.50 लाख रूपए का राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह राजस्व संग्रहण चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्धारित लक्ष्य का 45.97% एवं अबतक के लक्ष्य का 68.96% है, जो कम है। परन्तु माह नवम्बर में 135.50 करोड़ का संग्रहण हुआ है, जो वास्तविक मासिक लक्ष्य का 98% तथा पुनरीक्षित मासिक लक्ष्य का 67% है। इस माह में बेहतर कार्य हुआ है। इसी प्रकार अगले 4 माह तक कड़ी मेहनत कर शत प्रतिशत् राजस्व प्राप्ति किये जाने का निदेश दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह नवम्बर तक उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची, हजारीबाग, पलामू, दुमका एवं कोल्हान द्वारा क्रमशः नवम्बर माह तक लक्ष्य के विरूद्ध 14.72%, 27.28%, 10.48%, 35.70% एवं 29.21% राजस्व की वसूली की गयी जो अत्यंत ही कम एवं निराशाजनक है। सचिव RTA राँची द्वारा कम वसूली तथा कम वाहनों की जाँच किये जाने पर सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्य करने का सख्त निदेश दिया गया। सचिव महोदय द्वारा Secterary RTA चाईबासा सहित सभी RTA को निदेश दिया गया कि आगामी माह के लक्ष्य का शत् प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह नवम्बर तक जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी, जमशेदपुर, राँची, रामगढ़, पलामू एवं कोडरमा के द्वारा 121.10%, 97.88%, 76.98%, 63.89%, 55.16% एवं 52.04% राजस्व की वसूली की गयी है, जो बेहतर है। उसी प्रकार गुमला, चाईबासा, लोहरदगा तथा बोकारो द्वारा 16.28%, 24.06%, 30.77%, तथा 36.86% वसूली की गयी है, जो अत्यंत ही कम है।

(iii) सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य का शत प्रतिशत् प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

(iv) JTC द्वारा बताया गया कि राज्य के defaulter Vehicles, Unfit Vehicles, expired PUC Vehicles तथा defaulter JCB की सूची share की गयी है, उनपर कार्य करें तथा सभी वाहनों को check कर tax वसूली की कार्रवाई करें।

(v) आगामी समीक्षा बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्य योजना एवं उसके क्रियान्वयन की विस्तृत रूप से समीक्षा की जायेगी।

(vi) वित्त विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण लक्ष्य प्राप्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस हेतु Revenue realisation हेतु गम्भीरता से अत्यधिक प्रयास करने का निर्देश सचिव महोदय द्वारा सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया।

(vii) पुलिस उपाधीक्षक, राँची, हजारीबाग, देवघर तथा गिरिडीह द्वारा क्रमशः 9.03%, 6.65%, 14.36% तथा 14.36% तथा 7.41% राजस्व का संग्रहण किया गया है, जो अत्यंत कम है। उपस्थित सर्जेन्ट राँची को सलाह दिया गया कि onspot fine collection के लिये प्रेरित करें तथा SMS के माध्यम से चालान भेजें। पुलिस निरीक्षक, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि उन्होंने अभी प्रभार ग्रहण किया है, आगामी माह से यह बढ़ेगा। सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि हेलमेट के अतिरिक्त सभी धाराओं पर कार्य करें तथा शहरों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करें।

2. <u>वाहनों की सघन जाँच</u>

(i) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह नवम्बर तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गढ़वा, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, सरायकेला के द्वारा क्रमशः 107, 208, 303, 398 एवं 411 वाहनों की जाँच की गई है, जो कि अन्य जिलों की तुलना में अत्यंत ही कम है।

(ii) JTC द्वारा कतिपय जिलों के निरीक्षण में यह बात सामने आई कि गाड़ियों से वसूली गयी पेनाल्टी, जाँच किये गये वाहनों की संख्या से अत्यधिक कम है। वाहनों से वसूली गयी पेनाल्टी एवं वाहनों की संख्या का अनुपात सही नहीं पाई गयी। यह भी स्पष्ट हुआ कि गाड़ियों की जाँच के नाम पर सिर्फ हेलमेट की जाँच की जा रही है। जबकि महत्वपूर्ण धाराओं में जाँच/Penalty नहीं की जा रही है। भविष्य में टीम द्वारा इसकी जाँच कराने का निदेश दिया गया। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया।

(iii) बैठक में बताया गया कि भविष्य में वाहनों से वसूले गये चालानों का Audit किया जायेगा।

(iv) वाहन जाँच के धारावार प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अधिकांश जिलों में धारा 194(D) (हेलमेट जाँच) के तहत अधिक मामलों में दण्ड अधिरोपित किया गया है। ध्यातव्य है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट जाँच महत्वपूर्ण है, साथ ही राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से अधिक दण्ड वाले धाराओं यथा ओवरलोडिंग, अवैध परमिट इत्यादि के तहत दण्ड अधिरोपित करना भी अत्यावश्यक

है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस दिशा में विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

(v) निर्णय लिया गया कि धारा 194(D) (हेलमेट जाँच) के साथ–साथ अन्य धाराओं से अधिरोपित राजस्व वसूली की समीक्षा आगामी बैठक में धारावार की जायेगी।

(vi) उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची को सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रमण्डलीय आयुक्त से समन्वय स्थापित करते हुए राजस्व वसूली की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

3. **<u>VAHAN Pendency</u>**

(i) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के समीक्षी माह तक राँची में 3637, हजारीबाग में 2931, गिरिडीह में 1031 VAHAN के मामले लंबित है। इतने मामले लंबित होना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त कई छोटे जिले में अत्यधिक संख्या में मामले लंबित है, जो कि अस्वीकार्य है। सचिव महोदय द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारियों को मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(ii) 2 माह से 6 माह तक तथा 6 माह से अधिक के लंबित मामले को माह दिसम्बर तक में शून्य करने तथा नये मामलों को त्वरित रूप से निष्पादित करने का निदेश दिया गया ताकि वे 2 माह से अधिक की श्रेणी में न आए।

4. **<u>LL/DL Pendency</u>**

(i) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के समीक्षी माह तक राज्य में 3747 LL के एवं 7559 DL के Approval हेतु लंबित मामले है।

(ii) सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को LL एवं DL pendency कम करने हेतु निदेश दिया गया। 2 माह से 6 माह तक तथा 6 माह से अधिक के लंबित मामले को माह दिसम्बर तक में शून्य करने तथा नये मामलों को त्वरित रूप से निष्पादित करने का निदेश दिया गया ताकि वे 2 माह से अधिक की श्रेणी में न आए।

(iii) सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मियों के बीच Task बाँटकर सही योजना बनाकर प्रतिदिन एक घंटा विशेष रूप से समय देकर लंबित LL/DL संख्याओं को शून्य किया जाय।

5. **<u>Tax Defaulter</u>**

(i) क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि Bulk SMS System में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस हेतु PMU कोषांग के श्री भुवन किशोर, Senior Programmer को

मामलों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, वे NIC से समन्वय कर SMS प्रेषित करेंगे।

(ii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि Tax कटने के पश्चात् चालान generate नहीं हो रहा है। इस हेतु NIC को समस्या का निराकरण करने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया।

(iii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा Software में किसी भी तरह का यदि Technical Difficulty का समाना करना पड़ रहा है, तो उन्हें अपनी समस्या NIC को बताते हुए परिवहन विभाग के Whatsapp Group में भी साझा करने का सुझाव दिया गया। इस दिशा में NIC को उनपर समाधान हेतु आवश्यक निदेश दिया गया।

6. <u>नीलामपत्रवाद</u>

(i) पिछली राजस्व संग्रहण बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में नीलामपत्रवाद से संबंधित कार्यों का निष्पादन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किये जाने के फलस्वरूप सचिव महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

(ii) सचिव महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि कई मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा वरीय पदाधिकारियों को शपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया जाता है। इनमें राजस्व वसूली के मामले भी होते हैं। इसलिए राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु नीलामपत्रवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा इसके लिये Dedicated कर्मी नियुक्त किया जाय।

(iii) नीलामपत्रवाद मामलों को नोटिस तामिला समय पर किया जाय, कोर्ट से समन्वय स्थापित करते हुए समुचित warrant निर्गत किया जाय एवं राशि की गणना सही रखने हेतु विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया।

(iv) बड़े जिलों में परिवहन विभाग के मामलों के निष्पादनार्थ dedicated Certificate Officer नियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष जिलों में नीलामपत्रवाद से संबंधित मामलों के लिये जिला में नामित नीलामपत्रवाद पदाधिकारी को Case Transfer करते हुए उसे follow-up किया जाय।

7. **<u>MVI Pendency/RTA Pendency</u>**

(i) समीक्षी माह तक मोटरयान निरीक्षक कार्यालय में फिटनेस, नया निबंधन एवं निबंधन नवीकरण से संबंधित दो माह से अधिक के लंबित मामलों को शून्य करने का निदेश दिया गया।

(ii) उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा बताया गया कि परमिट संबंधी बैठक नहीं आहूत होने के कारण कई मामले लंबित है।

8. **सड़क सुरक्षा**

(i) विगत बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन जाँच करने, जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को ऐजेंडा के साथ करने, गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं अन्य बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिए गए थे, परन्तु अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

(ii) वर्तमान कैलेंडर वर्ष में कई जिलों में अत्यंत ही कम संख्या में DL Suspend किये गये है। DL Suspension की दिशा में विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत माह दिसम्बर में अधिक संख्या में DL Suspend करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(iii) Hit and Run Compensation के लंबित मामलें की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कई जिलों में अबतक शून्य मामलों का निष्पादन किया गया है। निदेश दिया गया कि Hit and Run Compensation के लंबित मामलों का दिनांक–28.12.2021 तक शत प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

9. **अन्यान्य मामलेः–**

(i) 16 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक विधान सभा सत्र आहूत है। इस हेतु पूरक बजट राशि की आवश्यकता यदि हो तो अधियाचना विभाग को अविलम्ब समर्पित करने का निदेश सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

(ii) विधान सभा के प्रश्नों से संबंधित आश्वासन के मामलों का निष्पादन करने का निदेश सचिव महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों को दिया गया।

(iii) विधान सभा सत्र के दौरान परिवहन विभाग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर तत्काल दिये जाने का निदेश दिया गया।

(iv) बजट के निर्धारण हेतु विभाग द्वारा प्रेषित वांछित सामग्री 15 दिसम्बर तक Writeup तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

(v) अनुकम्पा से संबंधित लंबित मामले को शून्य करने का निदेश सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया।

(vi) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हेलमेट पहनने हेतु प्रेरित करने तथा शत प्रतिशत् लोगों को हेलमेट पहनना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(vii) सचिव महोदय द्वारा विशेष निदेश दिया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों का वातावरण ऐसा बनाकर रखे कि कार्यालयों में आने वाले जनता सुगमता से अपना कार्य करा

कर संतुष्ट होकर लौटे एवं कोई भी व्यक्ति यदि पदाधिकारी से मिलना चाहता हो तो सुगमता पूर्वक मिल सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

कार्यवाही पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

03/12/2021

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक–03/परि०वि०–25/2020 1141 **राँची, दिनांक–** 03.12.2021

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/12/2021

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक–03/परि०वि०–25/2020 1141 **राँची, दिनांक–** 03.12.2021

प्रतिलिपिः सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी यातायात पुलिस उपाधीक्षक/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/12/2021

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक–03/परि०वि०–25/2020 1141 **राँची, दिनांक–** 03.12.2021

प्रतिलिपिः राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., झारखण्ड/पी.एम.यू.,एन.आई.सी. सेल, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/12/2021

संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, रांची।